रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3851] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 27, 2019/अग्रहायण 6, 1941
No. 3851] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 27, 2019/AGRAHAYANA 6, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2019

का.आ. 4282(अ).—आयकर नियमावली, 1962 के नियम 6घघघ के उपनियम(4) के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 43 की उपधारा(5) के परन्तुक के खण्ड (ङ.) के स्पष्टीकरण में खण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा मै. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई (पैन:एएएसीएन1797एल) को व्युत्पादों (डेरिवेटिवज) में व्यापार (ट्रेडिंग) के संबंध में निम्नलिखित शर्तों के पूरा करने के अध्यधीन सरकारी राजपत्र में इसके अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ एक 'मान्यता प्राप्त एसोसिएशन' के रूप में अधिसूचित करती है, नामत:

(i) उक्त एक्सचेंज को व्युत्पादों(डेरिवेटिवज) में व्यापार (ट्रेडिंग) के बारे में अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) (दिनांक 24 सितंबर, 2015 की राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 2630 (अ) द्वारा भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड के साथ आमेलित) के अन्तर्गत स्थापित वायदा बाजार आयोग (फारवार्ड मार्केटस कमीशन) का अनुमोदन लेना होगा और वह इसके द्वारा उल्लिखित दिशानिर्देशों अथवा शर्तों के अनुसार कार्य करेगा;

(ii) यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक के ब्यौरे (अनन्य(यूनिक) ग्राहक पहचान संख्या तथा पैन सहित) विधिवत रिकार्ड किए गए हैं तथा इसके डाटाबेस में स्टोर किए गए हैं;

(iii) यह अपने सिस्टम पर सात वर्षों की अवधि के लिए सभी लेनदेनों (व्युत्पाद मार्केट के बारे में) की पूरी लेखा-परीक्षा जांच रखेगा;

(iv) यह सुनिश्चित करेगा कि लेनदेन (व्युत्पाद मार्केट के बारे में) एक बार पंजीकृत हो जाने पर मिटाया नहीं जाएगा;

(v) यह सुनिश्चित करेगा कि लेनदेन (व्युत्पाद मार्केट के बारे में) सिस्टम में एक बार पंजीकृत होने पर वास्तविक त्रुटि के मामलों में ही संशोधित किया जाता है और सिस्टम में पंजीकृत सभी लेनदेन(व्युत्पाद मार्केट के बारे में) के बारे में डाटा रखे जाते हैं जिन्हें संशोधित किया गया है और फार्म 3खग में एक मासिक विवरण महानिदेशक आयकर (आसूचना तथा आपराधिक जांच), नई दिल्ली को उस माह के अंतिम दिवस से पन्द्रह दिन के भीतर प्रस्तुत करनी है जिससे ऐसा विवरण संबंधित है।

2. यह अधिसूचना तब तक लागू रहेगी जब तक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया अनुमोदन वापिस नहीं किया जाता अथवा समाप्त नहीं हो जाता; अथवा यह अधिसूचना आयकर नियमावली, 1962 के नियम 6 घघघ के उपनियम(5) में यथा प्रदान की गई केन्द्र सरकार द्वारा निरस्त नहीं की गई है, जो भी पहले हो।

[अधिसूचना सं. 100/2019/फा. सं.225/252/2019-आईटीए-II]

राजाराजेश्वरी आर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2019

S.O. 4282(E).—In exercise of the powers conferred by clause (iii) in the Explanation of clause (e) of the proviso to sub-section (5) of Section 43 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) read with sub-rule (4) of Rule 6DDD of the Income-tax Rules, 1962, the Central Government hereby notifies **M/s National Stock Exchange of India Limited, Mumbai (PAN: AACN1797L)** as a '**recognised association'** for the purpose of said clause with effect from the date of publication of this notification in the official gazette subject to fulfilment of following conditions in respect of trading in derivatives, namely;

(i) The Exchange shall have the approval of the Forward Markets Commission established under the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) (merged with Securities and Exchange Board of India vide Gazette Notification No.S.O.2630(E) dated 24.09.2015) in respect of trading in derivatives and shall function in accordance with the guidelines or conditions laid down by it;

(ii) It shall ensure that the particulars of the client (including unique client identity number and PAN) are duly recorded and stored in its databases;

(iii) It shall maintain a complete audit trail of all transactions (in respect of derivative market) for a period of seven years on its system;

(iv) It shall ensure that transactions (in respect of derivative market) once registered in the system are not erased;

(v) It shall ensure that the transactions (in respect of derivative market) once registered in the system are modified only in cases of genuine error and maintain data regarding all transactions (in respect of derivative market) registered in the system which have been modified and submit a monthly statement in Form

No. 3BC to the Director General of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation), New Delhi within fifteen days from the last day of each month to which such statement relates.

2. This notification shall remain in force until the approval granted by the Securities and Exchange Board of India is withdrawn or expires; or this notification is rescinded by the Central Government as provided in sub-rule(5) of rule 6DDD of the Income Tax Rules,1962, whichever is earlier.

[Notification No. 100/2019 /F. No. 225/252/2019-ITA-II]

RAJARAJESWARI R., Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.11.28 19:47:49 +05'30'